

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)-4/2017 तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2018 के सितम्बर मास के 13 दिवस को ऐसा दिन नियत करते हैं जिससे, पूर्वोक्त अधिनियम के समस्त उपबन्ध तहसील अर्की जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांवों में निम्न विनिर्देशानुसार प्रवृत्त होंगे:-

विनिर्देश

क्रम सं०	राजस्व गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	अर्की खास	145	3040
2.	देवधार		
3.	जालंग		
4.	शीलपुर		
	कुल	145	3040

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)

प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)-4/2017 तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, “अर्की योजना क्षेत्र” का गठन करते हैं जिसमें तहसील अर्की जिला सोलन हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांव निम्न विनिर्देशानुसार सम्मिलित होंगे:-

विनिर्देश

नगर पंचायत अर्की की सीमाओं के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र

क्रम संख्या	राजस्व गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	अर्की खास	145	3040
2.	देवधार		
3.	जालंग		
4.	शीलपुर		
	कुल	145	3040

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग
संख्या:टी0सी0पी0-एफ-(5)4/2017

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग
तारीख, शिमला-2
अधिसूचना

13.09.2018

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)4/2017 तारीख 13.09.2018 द्वारा “अर्की योजना क्षेत्र” का गठन कर लिया गया है;

और उक्त योजना क्षेत्र के विद्यमान भू-उपयोग के मानचित्र (नक्शे) को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है;

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि पूर्वोक्त योजना क्षेत्र में भू-उपयोग में परिवर्तन या उस पर किसी निर्माण संक्रियां से सतह या किसी भूमि या मिट्टी पर हानिकारक अवरोध होने की सम्भावना है या मिट्टी के संरक्षण, भूमि के खिसकने से रोकथाम करने या कटाव से संरक्षण हेतु हानिकारक समझा गया है या पूर्वोक्त अधिनियम के उपलब्धों के अनुसार उक्त क्षेत्र की योजना बनाना और विकास करना कठिन होने की सम्भावना है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 15-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए “अर्की योजना क्षेत्र”के विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र (नक्शे) पर इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए रोक लगाते हैं।

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)

प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017

Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977(Act No. 12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the 13th day of September, 2018, the date from which all the provisions of aforesaid Act shall come into force in the following revenue villages of Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh as mentioned in the specifications below:-

SPECIFICATIONS

Sr. No.	Name of Revenue Village	Area in Hectors	Population (2011)
1.	Arki khas	145	3040
2.	Devdhar		
3.	Jalang		
4.	Sheelpur		
-	Total	145	3040

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017

Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No.12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute the “Arki Planning Area” which include the following Revenue villages of Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh as mentioned in the specifications below:-

SPECIFICATIONS

The area falling within the limits of Nagar Panchayat Arki.

Sr. No.	Name of Revenue Village	Area in Hectors	Population (2011)
1.	Arki khas	145	3040
2.	Devdhar		
3.	Jalang		
4.	Sheelpur		
-	Total	145	3040

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017

Dated, Shimla-2,
NOTIFICATION

13.09.2018

WHEREAS, “Arki Planning Area” has been constituted under sub- section (1) of Section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act,1977 (Act No12 of 1977) vide Notification No. TCP-F (5)-4/2017 Dated 13.09.2018

AND WHEREAS, existing land use map of the said planning area has not yet been published under sub-section (1) of Section- 15 of the aforesaid Act;

AND WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that in the aforesaid planning area, the change of the land use or any building operation therein is likely to cause injurious disturbance of the surface or any land or soil, or is considered detrimental to the preservation of the soil, prevention of land slips, or protection against erosion, or is likely to make it difficult to plan and develop the said area in accordance with the provisions of the aforesaid Act;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to freeze the existing land use map of the “Arki Planning Area” for a period of five years from the date of publication of this Notification in the Official Gazette of Himachal Pradesh.

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग
संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)-4/2017 तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2018 के सितम्बर मास के 13 दिवस को ऐसा दिन नियत करते हैं जिससे, पूर्वोक्त अधिनियम के समस्त उपबन्ध तहसील राजगढ़ जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांवों में निम्न विनिर्देशानुसार प्रवृत्त होंगे:-

विनिर्देश

क्रम संख्या	राजस्व गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	राजगढ़	205	3083
	कुल	205	3083

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)-4/2017 तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, “राजगढ़ योजना क्षेत्र” का गठन करते हैं जिसमें तहसील राजगढ़ जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांव निम्न विनिर्देशानुसार सम्मिलित होंगे:-

विनिर्देश

नगर पंचायत राजगढ़ की सीमाओं के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र

क्रम संख्या	राजस्व गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	राजगढ़	205	3083
	कुल	205	3083

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)

प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या:टी0सी0पी0-एफ-(5)4 / 2017

तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)4 / 2017 तारीख 13.09.2018 द्वारा “राजगढ़ योजना क्षेत्र” का गठन कर लिया किया गया है;

और उक्त योजना क्षेत्र के विद्यमान भू-उपयोग के मानचित्र (नक्शे) को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है;

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि पूर्वोक्त योजना क्षेत्र में भू-उपयोग में परिवर्तन या उस पर किसी निर्माण संक्रियां से सतह या किसी भूमि या मिट्टी पर हानिकारक अवरोध होने की सम्भावना है या मिट्टी के संरक्षण, भूमि के खिसकने से रोकथाम करने या कटाव से संरक्षण हेतु हानिकारक समझा गया है या पूर्वोक्त अधिनियम के उपलब्धों के अनुसार उक्त क्षेत्र की योजना बनाना और विकास करना कठिन होने की सम्भावना है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 15-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए “राजगढ़ योजना क्षेत्र”के विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र (नक्शे) पर इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए रोक लगाते हैं।

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)

प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017 Dated, Shimla-2, 13.09.2018
NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977(Act No. 12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the 13th day of September, 2018, the date from which all the provisions of aforesaid Act shall come into force in the following revenue villages of Tehsil Rajgarh, District Sirmour, Himachal Pradesh as mentioned in the specifications below:-

SPECIFICATIONS

Sr. No.	Name of Revenue Village	Area in Hectors	Population (2011)
1.	Rajgarh	205	3083
-	Total	205	3083

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017 Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No.12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute the “Rajgarh Planning Area” which include the following Revenue villages of Tehsil Rajgarh, District Sirmour, Himachal Pradesh as mentioned in the specifications below:-

SPECIFICATIONS

The area falling within the limits of Nagar Panchayat Rajgarh.

Sr. No.	Name of Revenue Village	Area in Hectors	Population (2011)
1.	Rajgarh	205	3083
-	Total	205	3083

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017 Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

WHEREAS, "Rajgarh Planning Area" has been constituted under sub-section (1) of Section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) vide Notification No. TCP-F (5)-4/2017 dated 13.09.2018

AND WHEREAS, existing land use map of the said planning area has not yet been published under sub-section (1) of Section- 15 of the aforesaid Act;

AND WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that in the aforesaid planning area, the change of the land use or any building operation therein is likely to cause injurious disturbance of the surface or any land or soil, or is considered detrimental to the preservation of the soil, prevention of land slips, or protection against erosion, or is likely to make it difficult to plan and develop the said area in accordance with the provisions of the aforesaid Act;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to freeze the existing land use map of the "Rajgarh Planning Area" for a period of five years from the date of publication of this Notification in the Official Gazette of Himachal Pradesh.

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग
संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)-4/2017 तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2018 के सितम्बर मास के 13 दिवस को ऐसा दिन नियत करते हैं जिससे, पूर्वोक्त अधिनियम के समस्त उपबन्ध तहसील सरकाघाट जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांवों में निम्न विनिर्देशानुसार प्रवृत्त होंगे:-

विनिर्देश

क्रम संख्या	राजस्व गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	नगर पंचायत, सरकाघाट	295	4719
	कुल	295	4719

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)-4 / 2017 तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, “सरकाघाट योजना क्षेत्र” का गठन करते हैं जिसमें तहसील सरकाघाट जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांव निम्न विनिर्देशानुसार सम्मिलित होंगे:-

विनिर्देश

नगर पंचायत सरकाघाट की सीमाओं के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र

क्रम संख्या	राजस्व गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	नगर पंचायत, सरकाघाट	295	4719
	कुल	295	4719

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)

प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या:टी0सी0पी0-एफ-(5)4/2017

तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)4/2017 तारीख 13.09.2018 द्वारा “सरकाघाट योजना क्षेत्र” का गठन कर लिया किया गया है;

और उक्त योजना क्षेत्र के विद्यमान भू-उपयोग के मानचित्र (नक्शे) को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है;

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि पूर्वोक्त योजना क्षेत्र में भू-उपयोग में परिवर्तन या उस पर किसी निर्माण संक्रियां से सतह या किसी भूमि या मिट्टी पर हानिकारक अवरोध होने की सम्भावना है या मिट्टी के संरक्षण, भूमि के खिसकने से रोकथाम करने या कटाव से संरक्षण हेतु हानिकारक समझा गया है या पूर्वोक्त अधिनियम के उपलब्धों के अनुसार उक्त क्षेत्र की योजना बनाना और विकास करना कठिन होने की सम्भावना है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 15-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए “सरकाघाट योजना क्षेत्र”के विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र (नक्शे) पर इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए रोक लगाते हैं।

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)

प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017

Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the 13th day of September 2018, the date from which all the provisions of aforesaid Act shall come into force in the following revenue villages of Tehsil Sarkaghat, District Mandi, Himachal Pradesh as mentioned in the specifications below:-

SPECIFICATIONS

Sr. No.	Name of Revenue Village	Area in Hectors	Population (2011)
1.	Nagar Panchayat Sarkaghat	295	4719
-	Total	295	4719

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017 Dated, Shimla-2

13.09.2018

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section-(1) of section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No.12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute the "Sarkaghat Planning Area" which include the following revenue villages of Tehsil Sarkaghat , District Mandi, Himachal Pradesh as mentioned in the specifications below:-

SPECIFICATIONS

The area falling within the limits of Nagar Panchayat Sarkaghat.

Sr. No.	Name of Revenue Village	Area in Hectors	Population (2011)
1.	Nagar Panchayat Sarkaghat	295	4719
-	Total	295	4719

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017

Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

WHEREAS “Sarkaghat Planning Area” has been constituted under sub-section (1) of section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) vide Notification No. TCP-F (5)-4/2017 dated 13.09.2018

AND WHEREAS, existing land use map of the said planning area has not yet been published under sub-section (1) of Section- 15 of the aforesaid Act;

AND WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that in the aforesaid planning area, the change of the land use or any building operation therein is likely to cause injurious disturbance of the surface or any land or soil, or is considered detrimental to the preservation of the soil, prevention of land slips, or protection against erosion, or is likely to make it difficult to plan and develop the said area in accordance with the provisions of the aforesaid Act;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to freeze the existing land use map of the “Sarkaghat Planning Area” for a period of five years from the date of publication of this Notification in the Official Gazette of Himachal Pradesh.

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)-4/2017 तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2018 के सितम्बर मास के 13 दिवस को ऐसा दिन नियत करते हैं जिससे, पूर्वोक्त अधिनियम के समस्त उपबन्ध तहसील कोटखाई जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांवों में निम्न विनिर्देशानुसार प्रवृत्त होंगे:-

विनिर्देश

क्रम संख्या	राजस्व गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	गैहर	40	1190
2.	चूल		
	कुल	40	1190

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)-4/2017 तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, “कोटखाई योजना क्षेत्र” का गठन करते हैं जिसमें तहसील कोटखाई जिला शिमला हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांव निम्न विनिर्देशानुसार सम्मिलित होंगे:-

विनिर्देश

नगर पंचायत कोटखाई की सीमाओं के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र

क्रम संख्या	राजस्व गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	गैहर	40	1190
2.	चूल		
	कुल	40	1190

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)

प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या:टी0सी0पी0-एफ-(5)4/2017

तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)4/2017 तारीख 13.09.2018 द्वारा “कोटखाई योजना क्षेत्र” का गठन कर लिया किया गया है;

और उक्त योजना क्षेत्र के विद्यमान भू-उपयोग के मानचित्र (नक्शे) को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है;

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि पूर्वोक्त योजना क्षेत्र में भू-उपयोग में परिवर्तन या उस पर किसी निर्माण संक्रियां से सतह या किसी भूमि या मिट्टी पर हानिकारक अवरोध होने की सम्भावना है या मिट्टी के संरक्षण, भूमि के खिसकने से रोकथाम करने या कटाव से संरक्षण हेतु हानिकारक समझा गया है या पूर्वोक्त अधिनियम के उपलब्धों के अनुसार उक्त क्षेत्र की योजना बनाना और विकास करना कठिन होने की सम्भावना है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 15-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए “कोटखाई योजना क्षेत्र”के विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र (नक्शे) पर इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए रोक लगाते हैं।

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)

प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017 Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the 13 day of September 2018, the date from which all the provisions of aforesaid Act shall come into force in the following revenue villages of Tehsil Kotkhai, District Shimla, Himachal Pradesh as mentioned in the specifications below:-

SPECIFICATIONS

Sr. No.	Name of Revenue Village	Area in Hectors	Population (2011)
1.	Gehar	40	1190
2.	Chool		
-	Total	40	1190

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017 Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section-(1) of section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No.12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute the "Kotkhai Planning Area" which include the following revenue villages of Tehsil Kotkhai, District Shimla, Himachal Pradesh as mentioned in the specifications below:-

SPECIFICATIONS

The area falling within the limits of Nagar Panchayat Kotkhai.

Sr. No.	Name of Revenue Village	Area in Hectors	Population (2011)
1.	Gehar	40	1190
2.	Chool		
-	Total	40	1190

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017

Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

WHEREAS, “Kotkhai Planning Area” has been constituted under sub-section (1) of section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) vide Notification No. TCP-F (5)-4/2017 Dated 13.09.2018

AND WHEREAS, existing land use map of the said planning area has not yet been published under sub-section (1) of Section- 15 of the aforesaid Act;

AND WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that in the aforesaid planning area, the change of the land use or any building operation therein is likely to cause injurious disturbance of the surface or any land or soil, or is considered detrimental to the preservation of the soil, prevention of land slips, or protection against erosion, or is likely to make it difficult to plan and develop the said area in accordance with the provisions of the aforesaid Act;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to freeze the existing land use map of the “Kotkhai Planning Area” for a period of five years from the date of publication of this Notification in the Official Gazette of Himachal Pradesh.

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)-4/2017 तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2018 के सितम्बर मास के 13 दिवस को ऐसा दिन नियत करते हैं जिससे, पूर्वोक्त अधिनियम के समस्त उपबन्ध तहसील सदर जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांवों में निम्न विनिर्देशानुसार प्रवृत्त होंगे:-

विनिर्देश

क्रम संख्या	राजस्व गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	नगर पंचायत, रिवालसर	397	1821
	कुल	397	1821

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)-4/2017 तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, “रिवालसर योजना क्षेत्र” का गठन करते हैं जिसमें तहसील सदर जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांव निम्न विनिर्देशानुसार सम्मिलित होंगे:—

विनिर्देश

नगर पंचायत रिवालसर की सीमाओं के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र

क्रम संख्या	राजस्व गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	नगर पंचायत, रिवालसर	397	1821
	कुल	397	1821

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)

प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या:टी0सी0पी0-एफ-(5)4 / 2017

तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)4 / 2017 तारीख 13.09.2018 द्वारा “रिवालसर योजना क्षेत्र” का गठन कर लिया किया गया है;

और उक्त योजना क्षेत्र के विद्यमान भू-उपयोग के मानचित्र (नक्शे) को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है;

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि पूर्वोक्त योजना क्षेत्र में भू-उपयोग में परिवर्तन या उस पर किसी निर्माण संक्रियां से सतह या किसी भूमि या मिट्टी पर हानिकारक अवरोध होने की सम्भावना है या मिट्टी के संरक्षण, भूमि के खिसकने से रोकथाम करने या कटाव से संरक्षण हेतु हानिकारक समझा गया है या पूर्वोक्त अधिनियम के उपलब्धों के अनुसार उक्त क्षेत्र की योजना बनाना और विकास करना कठिन होने की सम्भावना है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 15-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए “रिवालसर योजना क्षेत्र”के विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र (नक्शे) पर इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए रोक लगाते हैं।

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)

प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017

Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the 13th day of September, 2018, the date from which all the provisions of aforesaid Act shall come into force in the following revenue villages of Tehsil Sadar, District Mandi, Himachal Pradesh as mentioned in the specifications below:-

SPECIFICATIONS

Sr. No.	Name of Revenue Village	Area in Hectors	Population (2011)
1.	Nagar Panchayat Rewalsar	397	1821
-	Total	397	1821

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017

Dated, Shimla-2,
NOTIFICATION

13.09.2018

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No.12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute the "Rewalsar Planning Area" which include the following revenue villages of Tehsil Sadar , District Mandi, Himachal Pradesh as mentioned in the specifications below:-

SPECIFICATIONS

The area falling within the limits of Nagar Panchayat Rewalsar.

Sr. No.	Name of Revenue Village	Area in Hectors	Population (2011)
1.	Nagar Panchayat Rewalsar	397	1821
-	Total	397	1821

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017

Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

WHEREAS, “Rewalsar Planning Area” has been constituted under sub-section (1) of Section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) vide Notification No. TCP-F (5)-4/2017 dated 13.09.2018

AND WHEREAS, existing land use map of the said planning area has not yet been published under sub-section (1) of Section- 15 of the aforesaid Act;

AND WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that in the aforesaid planning area, the change of the land use or any building operation therein is likely to cause injurious disturbance of the surface or any land or soil, or is considered detrimental to the preservation of the soil, prevention of land slips, or protection against erosion, or is likely to make it difficult to plan and develop the said area in accordance with the provisions of the aforesaid Act;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to freeze the existing land use map of the “Rewalsar Planning Area” for a period of five years from the date of publication of this Notification in the Official Gazette of Himachal Pradesh.

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग
संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)-4/2017 तारीख, शिमला-2 13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2018 के सितम्बर मास के 13 दिवस को ऐसा दिन नियत करते हैं जिससे, पूर्वोक्त अधिनियम के समस्त उपबन्ध तहसील घनाड़ी जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांवों में निम्न विनिर्देशानुसार प्रवृत्त होंगे:-

विनिर्देश

क्रम संख्या	राजस्व गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1ण	नगर पंचायत दौलतपुर	109.44	3763
2.	बाड़ी	194.94	—
3.	कुहाई देवी	205.52	—
	कुल	509	3763

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)-4/2017 तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शदौलतपुर योजना क्षेत्र का गठन करते हैं जिसमें तहसील घनाड़ी जिला ऊना हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांव निम्न विनिर्देशानुसार सम्मिलित होंगे:-

विनिर्देश
नगर पंचायत दौलतपुर की सीमाओं के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र

क्रम संख्या	राजस्व गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1ण	नगर पंचायत दौलतपुर	109.44	3763
2.	बाड़ी	194.94	-
3.	कुहाई देवी	205.52	-
	कुल	509	3763

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या:टी0सी0पी0-एफ-(5)4 / 2017

तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 ;1977 का अधिनियम संख्यांक 12द्ध की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)4 / 2017तारीख 13.09.2018 द्वारा दौलतपुर योजना क्षेत्र का गठन कर लिया किया गया हैय

और उक्त योजना क्षेत्र के विद्यमान भू-उपयोग के मानचित्र (नक्शे) को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया हैय

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि पूर्वोक्त योजना क्षेत्र में भू-उपयोग में परिवर्तन या उस पर किसी निर्माण संक्रियां से सतह या किसी भूमि या मिट्टी पर हानिकारक अवरोध होने की सम्भावना है या मिट्टी के संरक्षण, भूमि के खिसकने से रोकथाम करने या कटाव से संरक्षण हेतु हानिकारक समझा गया है या पूर्वोक्त अधिनियम के उपलब्धों के अनुसार उक्त क्षेत्र की योजना बनाना और विकास करना कठिन होने की सम्भावना है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 15-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दौलतपुर योजना क्षेत्र के विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र (नक्शे) पर इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए रोक लगाते हैं।

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)

प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017 Dated Shimla-2, 13.09.2018

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977(Act No. 12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the ...day of September 2018, the date from which all the provisions of aforesaid Act shall come into force in the following revenue villages of Tehsil Ghanari, District Una, Himachal Pradesh as mentioned in the specifications below:-

SPECIFICATIONS

Sr. No.	Name of Revenue Village	Area in Hectors	Population (2011)
1.	Nagar Panchyat Daulatpur	109.44	3763
2.	Bari	194.94	
3.	Kuhai Devi	205.52	
-	Total	509	3763

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017

Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No.12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute the "Daulatpur Planning Area" which include the following Revenue villages of Tehsil Ghanari, District Una, Himachal Pradesh as mentioned in the specifications below:-

SPECIFICATIONS

The area falling within the limits of Nagar Panchayat Daulatpur.

Sr. No.	Name of Revenue Village	Area in Hectors	Population (2011)
1.	Nagar Panchayat Daulatpur	109.44	3763
2.	Bari	194.94	
3.	Kuhai Devi	205.52	
-	Total	509	3763

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017

Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

WHEREAS, “Daulatpur Planning Area” has been constituted under sub- section (1) of Section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act,1977 (Act No12 of 1977) vide Notification No. TCP-F (5)-4/2017 dated 13.09.2018;

AND WHEREAS, existing land use map of the said planning area has not yet been published under sub-section (1) of Section- 15 of the aforesaid Act;

AND WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that in the aforesaid planning area, the change of the land use or any building operation therein is likely to cause injurious disturbance of the surface or any land or soil, or is considered detrimental to the preservation of the soil, prevention of land slips, or protection against erosion, or is likely to make it difficult to plan and develop the said area in accordance with the provisions of the aforesaid Act;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to freeze the existing land use map of the “Daulatpur Planning Area” for a period of five years from the date of publication of this Notification in the Official Gazette of Himachal Pradesh.

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2018 के सितम्बर मास के 13 दिवस को ऐसा दिन नियत करते हैं जिससे, पूर्वोक्त अधिनियम के समस्त उपबन्ध तहसील हरोली जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांवों में निम्न विनिर्देशानुसार प्रवृत्त होंगे:-

विनिर्देश

क्रम संख्या	राजस्व गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	टाहलीवाल (उपरला)	172	317
2.	टाहलीवाल (निचला)	163	111
3.	नंगल कलां	218	1169
4.	नंगल जटपुर	238	1968
	कुल	791	3565

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)-4/2017 तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, “टाहलीवाल योजना क्षेत्र” का गठन करते हैं जिसमें तहसील हरोली जिला ऊना हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांव निम्न विनिर्देशानुसार सम्मिलित होंगे:-

विनिर्देश

नगर पंचायत टाहलीवाल की सीमाओं के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र

क्रम संख्या	राजस्व गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	टाहलीवाल (उपरला)	172	317
2.	टाहलीवाल (निचला)	163	111
3.	नंगल कलां	218	1169
4.	नंगल जटपुर	238	1968
	कुल	791	3565

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)

प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या:टी0सी0पी0-एफ-(5)4 / 2017

तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)4 / 2017 तारीख 13.09.2018 द्वारा “टाहलीवाल योजना क्षेत्र” का गठन कर लिया गया है;

और उक्त योजना क्षेत्र के विद्यमान भू-उपयोग के मानचित्र (नक्शे) को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है;

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि पूर्वोक्त योजना क्षेत्र में भू-उपयोग में परिवर्तन या उस पर किसी निर्माण संक्रियां से सतह या किसी भूमि या मिट्टी पर हानिकारक अवरोध होने की सम्भावना है या मिट्टी के संरक्षण, भूमि के खिसकने से रोकथाम करने या कटाव से संरक्षण हेतु हानिकारक समझा गया है या पूर्वोक्त अधिनियम के उपलब्धों के अनुसार उक्त क्षेत्र की योजना बनाना और विकास करना कठिन होने की सम्भावना है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 15-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए “टाहलीवाल योजना क्षेत्र”के विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र (नक्शे) पर इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए रोक लगाते हैं।

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)

प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017 Dated,

Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the 13th day of September, 2018, the date from which all the provisions of aforesaid Act shall come into force in the following revenue villages of Tehsil Haroli, District Una, Himachal Pradesh as mentioned in the specifications below:-

SPECIFICATIONS

Sr.N	Name of Revenue Village	Area in Hectors	Population (2011)
1.	Tahaliwal Upper	172	317
2.	Tahaliwal Lower	163	111
3.	Nangal Kalan	218	1169
4.	Nangal Jatpur	238	1968
-	Total	791	3565

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017

Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No.12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute the "Tahliwal Planning Area" which include the following revenue villages of Tehsil Haroli , District Una, Himachal Pradesh as mentioned in the specifications below:-

SPECIFICATIONS

The area falling within the limits of Nagar Panchayat Tahliwal.

Sr. No.	Name of Revenue Village	Area in Hectors	Population (2011)
1.	Tahaliwal Upper	172	317
2.	Tahaliwal Lower	163	111
3.	Nangal Kalan	218	1169
4.	Nangal Jatpur	238	1968
-	Total	791	3565

By

Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017

Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

WHEREAS, "Tahliwal Planning Area" has been constituted under sub-section (1) of section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No 12 of 1977) vide Notification No TCP-F (5)-4/2017 dated 13.09.2018

AND WHEREAS, existing land use map of the said planning area has not yet been published under sub-section (1) of Section- 15 of the aforesaid Act;

AND WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that in the aforesaid planning area, the change of the land use or any building operation therein is likely to cause injurious disturbance of the surface or any land or soil, or is considered detrimental to the preservation of the soil, prevention of land slips, or protection against erosion, or is likely to make it difficult to plan and develop the said area in accordance with the provisions of the aforesaid Act;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to freeze the existing land use map of the "Tahliwal Planning Area" for a period of five years from the date of publication of this Notification in the Official Gazette of Himachal Pradesh.

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग
संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)-4 / 2017 तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2018 के सितम्बर मास के 13 दिवस को ऐसा दिन नियत करते हैं जिससे, पूर्वोक्त अधिनियम के समस्त उपबन्ध तहसील नगरोटा बगवां जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांवों में निम्न विनिर्देशानुसार प्रवृत्त होंगे:-

विनिर्देश

क्रम संख्या	राजस्व गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	नगरोटा बगवां	115	5900
2.	लिदवार	—	—
3.	बाला	—	—
	कुल	115	5900

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)-4/2017 तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, “नगरोटा योजना क्षेत्र” का गठन करते हैं जिसमें तहसील नगरोटा बगवां जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांव निम्न विनिर्देशानुसार सम्मिलित होंगे:-

विनिर्देश

नगरपालिका परिषद नगरोटा की सीमाओं के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र

क्रम संख्या	राजस्व गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	नगरोटा बगवां	115	5900
2.	लिदवार	—	—
3.	बाला	—	—
	कुल	115	5900

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)

प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या:टी0सी0पी0-एफ-(5)4 / 2017

तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)4 / 2017 तारीख 13.09.2018 द्वारा “नगरोटा योजना क्षेत्र” का गठन कर लिया किया गया है;

और उक्त योजना क्षेत्र के विद्यमान भू-उपयोग के मानचित्र (नक्शे) को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है;

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि पूर्वोक्त योजना क्षेत्र में भू-उपयोग में परिवर्तन या उस पर किसी निर्माण संक्रियां से सतह या किसी भूमि या मिट्टी पर हानिकारक अवरोध होने की सम्भावना है या मिट्टी के संरक्षण, भूमि के खिसकने से रोकथाम करने या कटाव से संरक्षण हेतु हानिकारक समझा गया है या पूर्वोक्त अधिनियम के उपलब्धों के अनुसार उक्त क्षेत्र की योजना बनाना और विकास करना कठिन होने की सम्भावना है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 15-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए “नगरोटा योजना क्षेत्र”के विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र (नक्शे) पर इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए रोक लगाते हैं।

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)

प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017
DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF
INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017

Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the 13th day of September, 2018, the date from which all the provisions of aforesaid Act shall come into force in the following revenue villages of Tehsil *Nagrota Bagwan*, District Kangra, Himachal Pradesh as mentioned in the specifications below:-

SPECIFICATIONS

Sr.N	Name of Revenue Village	Area in Hectors	Population (2011)
1.	<i>Nagrota Bagwan</i>	115	5900
2.	Lidwar		
3.	Balla		
-	Total	115	5900

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017

Shimla, Dated

13.09.2018

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No.12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute the “*Nagrota* Planning Area” which include the following revenue villages of Tehsil Dehra , District Kangra, Himachal Pradesh as described in the specifications below:-

SPECIFICATIONS

The area falling within the limits of the Municipal Council *Nagrota*.

Sr. No.	Name of Revenue Village	Area in Hectors	Population (2011)
1.	<i>Nagrota</i> Bagwan	115	5900
2.	Lidwar		
3.	Balla		
-	Total	115	5900

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017
DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF
INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017

Shimla, Dated

13.09.2018

NOTIFICATION

WHEREAS “*Nagrota* Planning Area” has been constituted under sub- section (1) of section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act,1977 (Act No12 of 1977) vide Notification No. TCP-F (5)-4/2017 dated 13.09.2018

AND WHEREAS, existing land use map of the said planning area has not yet been published under sub-section (1) of Section- 15 of the aforesaid Act;

AND WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that in the aforesaid planning area, the change of the land use or any building operation therein is likely to cause injurious disturbance of the surface or any land or soil, or is considered detrimental to the preservation of the soil, prevention of land slips, or protection against erosion, or is likely to make it difficult to plan and develop the said area in accordance with the provisions of the aforesaid Act;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to freeze the existing land use map of the “*Nagrota* Planning Area” for a period of five years from the date of publication of this Notification in the Official Gazette of Himachal Pradesh.

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2018 के सितम्बर मास के 13 दिवस को ऐसा दिन नियत करते हैं जिससे, पूर्वोक्त अधिनियम के समस्त उपबन्ध तहसील चुवाड़ी जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांवों में निम्न विनिर्देशानुसार प्रवृत्त होंगे:-

विनिर्देश

क्रम सं०	राजस्व गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	नगर पंचायत चुवाड़ी	213	3770
	कुल	213	3770

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)-4/2017 तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "चुवाड़ी योजना क्षेत्र" का गठन करते हैं जिसमें तहसील चुवाड़ी जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांव निम्न विनिर्देशानुसार सम्मिलित होंगे:-

विनिर्देश

नगर पंचायत चुवाड़ी की सीमाओं के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र

क्रम संख्या	राजस्व गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	नगर पंचायत चुवाड़ी	213	3770
	कुल	213	3770

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)

प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या:टी0सी0पी0-एफ-(5)4/2017 तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या:टी0सी0पी0-(5)4/2017 तारीख 13.09.2018 द्वारा "चुवाड़ी योजना क्षेत्र" का गठन कर लिया गया है;

और उक्त योजना क्षेत्र के विद्यमान भू-उपयोग के मानचित्र (नक्शे) को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है;

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि पूर्वोक्त योजना क्षेत्र में भू-उपयोग में परिवर्तन या उस पर किसी निर्माण संक्रिया से सतह या किसी भूमि या मिट्टी पर हानिकारक अवरोध होने की सम्भावना है या मिट्टी के संरक्षण, भूमि के खिसकने से रोकथाम करने या कटाव से संरक्षण हेतु हानिकारक समझा गया है या पूर्वोक्त अधिनियम के उपलब्धों के अनुसार उक्त क्षेत्र की योजना बनाना और विकास करना कठिन होने की सम्भावना है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 15-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "चुवाड़ी योजना क्षेत्र"के विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र (नक्शे) पर इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए रोक लगाते हैं।

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)

प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017

Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the 13th day of September, 2018, the date from which all the provisions of aforesaid Act shall come into force in the following revenue villages of Tehsil Chowari , District Chamba, Himachal Pradesh as mentioned in the specifications below:-

SPECIFICATIONS

Sr.N	Name of Revenue Village	Area in Hectors	Population (2011)
1.	Nagar Panchayat Chowari	213	3770
-	Total	213	3770

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017
DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF
INDIA)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017

Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No.12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute the "Chowari Planning Area" which include the following revenue villages of Tehsil Chowari , District Chamba, Himachal Pradesh as mentioned in the specifications below:-

SPECIFICATIONS

The area falling within the limits of Nagar Panchayat Chowari.

Sr. No.	Name of Revenue Village	Area in Hectors	Population (2011)
1.	Nagar Panchayat Chowari	213	3770
-	Total	213	3770

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017

Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

WHEREAS “Chowari Planning Area” has been constituted under sub-section (1) of Section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) vide Notification No. TCP-F (5)-4/2017 dated 13.09.2018

AND WHEREAS, existing land use map of the said Planning Area has not yet been published under sub-section (1) of section 15 of the aforesaid Act;

AND WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that in the aforesaid Planning Area, the change of the land use or any building operation therein is likely to cause injurious disturbance of the surface or any land or soil, or is considered detrimental to the preservation of the soil, prevention of land slips, or protection against erosion, or is likely to make it difficult to plan and develop the said area in accordance with the provisions of the aforesaid Act;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to freeze the existing land use map of the “Chowari Planning Area” for a period of five years from the date of publication of this Notification in the Official Gazette of Himachal Pradesh.

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग
संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)-4 / 2017 तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2018 के सितम्बर मास केदिवस को ऐसा दिन नियत करते हैं जिससे, पूर्वोक्त अधिनियम के समस्त उपबन्ध तहसील ऊना जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांवों में निम्न विनिर्देशानुसार प्रवृत्त होंगे:-

विनिर्देश

क्रम संख्या	राजस्व गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	सन्तोषगढ़	700	9363
	कुल	700	9363

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)-4/2017 तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, “संतोषगढ़ योजना क्षेत्र” का गठन करते हैं जिसमें तहसील ऊना जिला ऊना हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांव निम्न विनिर्देशानुसार सम्मिलित होंगे:-

विनिर्देश

नगरपालिका परिषद संतोषगढ़ की सीमाओं के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र

क्रम संख्या	राजस्व गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	सन्तोषगढ़	700	9363
	कुल	700	9363

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)

प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या:टी0सी0पी0-एफ-(5)4 / 2017

तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)4 / 2017 तारीख 13.09.2018 द्वारा “संतोषगढ़ योजना क्षेत्र” का गठन कर लिया किया गया है;

और उक्त योजना क्षेत्र के विद्यमान भू-उपयोग के मानचित्र (नक्शे) को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है;

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि पूर्वोक्त योजना क्षेत्र में भू-उपयोग में परिवर्तन या उस पर किसी निर्माण संक्रियां से सतह या किसी भूमि या मिट्टी पर हानिकारक अवरोध होने की सम्भावना है या मिट्टी के संरक्षण, भूमि के खिसकने से रोकथाम करने या कटाव से संरक्षण हेतु हानिकारक समझा गया है या पूर्वोक्त अधिनियम के उपलब्धों के अनुसार उक्त क्षेत्र की योजना बनाना और विकास करना कठिन होने की सम्भावना है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 15-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए “संतोषगढ़ योजना क्षेत्र”के विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र (नक्शे) पर इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए रोक लगाते हैं।

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)

प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017 Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the 13th day of September, 2018, the date from which all the provisions of aforesaid Act shall come into force in the following revenue villages of Tehsil Una, District Una, Himachal Pradesh as mentioned in the specifications below:-

SPECIFICATIONS

Sr. No.	Name of Revenue Village	Area in Hectors	Population (2011)
1.	Santoshgarh	700	9363
-	Total	700	9363

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017 Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No.12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute the “Santoshgarh Planning Area” which include the following revenue villages of Tehsil Una, District Una, Himachal Pradesh as mentioned in the specifications below:-

SPECIFICATIONS

The area falling within the limits of the Municipal Council Santoshgarh.

Sr. No.	Name of Revenue Village	Area in Hectors	Population (2011)
1.	Santoshgarh	700	9363
-	Total	700	9363

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017 Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

WHEREAS, “Santoshgarh Planning Area” has been constituted under sub-section (1) of section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No.12 of 1977) vide Notification No. TCP-F (5)-4/2017 dated 13.09.2018

AND WHEREAS, existing land use map of the said planning area has not yet been published under sub-section (1) of Section- 15 of the aforesaid Act;

AND WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that in the aforesaid planning area, the change of the land use or any building operation therein is likely to cause injurious disturbance of the surface or any land or soil, or is considered detrimental to the preservation of the soil, prevention of land slips, or protection against erosion, or is likely to make it difficult to plan and develop the said area in accordance with the provisions of the aforesaid Act;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to freeze the existing land use map of the “Santoshgarh Planning Area” for a period of five years from the date of publication of this Notification in the Official Gazette of Himachal Pradesh.

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग
संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)-4/2017 तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2018 के सितम्बर मास के 13 दिवस को ऐसा दिन नियत करते हैं जिससे, पूर्वोक्त अधिनियम के समस्त उपबन्ध तहसील नूरपुर जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांवों में निम्न विनिर्देशानुसार प्रवृत्त होंगे:-

विनिर्देश

क्रम संख्या	राजस्व गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	नगर पालिका परिषद् नूरपुर	475	9807
	कुल	475	9807

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)-4/2017 तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, “नूरपुर योजना क्षेत्र” का गठन करते हैं जिसमें तहसील नूरपुर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांव निम्न विनिर्देशानुसार सम्मिलित होंगे:-

विनिर्देश
नगरपालिका परिषद नूरपुर की सीमाओं के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र

क्रम संख्या	राजस्व गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	नगरपालिका परिषद नूरपुर	475	9807
	कुल	475	9807

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या:टी0सी0पी0-एफ-(5)4/2017

तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या:टी0सी0पी0-एफ-(5)4/2017 तारीख 13.09.2018 द्वारा “नूरपुर योजना क्षेत्र” का गठन कर लिया गया है;

और उक्त योजना क्षेत्र के विद्यमान भू-उपयोग के मानचित्र (नक्शे) को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है;

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि पूर्वोक्त योजना क्षेत्र में भू-उपयोग में परिवर्तन या उस पर किसी निर्माण संक्रिया से सतह या किसी भूमि या मिट्टी पर हानिकारक अवरोध होने की सम्भावना है या मिट्टी के संरक्षण, भूमि के खिसकने से रोकथाम करने या कटाव से संरक्षण हेतु हानिकारक समझा गया है या पूर्वोक्त अधिनियम के उपलब्धों के अनुसार उक्त क्षेत्र की योजना बनाना और विकास करना कठिन होने की सम्भावना है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 15-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए “नूरपुर योजना क्षेत्र”के विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र (नक्शे) पर इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए रोक लगाते हैं।

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)

प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017

Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977(Act No. 12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the 13th day of September, 2018, the date from which all the provisions of aforesaid Act shall come into force in the following revenue villages of Tehsil Nurpur , District Kangra, Himachal Pradesh as mentioned in the specifications below:-

SPECIFICATIONS

Sr. No.	Name of Revenue Village	Area in Hectors	Population (2011)
1.	Municipal Council Nurpur	475	9807
-	Total	475	9807

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017
DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF
INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017 Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No.12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute the "Nurpur Planning Area" which include the following revenue villages of Tehsil Nurpur , District Kangra, Himachal Pradesh as described in the specifications below:-

SPECIFICATIONS

The area falling within the limits of the Municipal Council Nurpur.

Sr. No.	Name of Revenue Village	Area in Hectors	Population (2011)
1.	Municipal Council Nurpur	475	9807
-	Total	475	9807

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017
DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF
INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017 Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

WHEREAS, “Nurpur Planning Area” has been constituted under sub- section (1) of section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act,1977 (Act No12 of 1977) vide Notification No. TCP-F (5)-4/2017 dated 13.09.2018

AND WHEREAS, existing land use map of the said planning area has not yet been published under sub-section (1) of Section- 15 of the aforesaid Act;

AND WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that in the aforesaid Planning Area, the change of the land use or any building operation therein is likely to cause injurious disturbance of the surface or any land or soil, or is considered detrimental to the preservation of the soil, prevention of land slips, or protection against erosion, or is likely to make it difficult to plan and develop the said area in accordance with the provisions of the aforesaid Act;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to freeze the existing land use map of the “Nurpur Planning Area” for a period of five years from the date of publication of this Notification in the Official Gazette of Himachal Pradesh.

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग
संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)-4/2017 तारीख, शिमला-2 13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2018 के सितम्बर मास के 13 दिवस को ऐसा दिन नियत करते हैं जिससे, पूर्वोक्त अधिनियम के समस्त उपबन्ध तहसील देहरा जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांवों में निम्न विनिर्देशानुसार प्रवृत्त होंगे:-

विनिर्देश

क्रम संख्या	राजस्व गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	नगर परिषद देहरा	327	4816
	कुल	327	4816

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)-4/2017 तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, “देहरा योजना क्षेत्र” का गठन करते हैं जिसमें तहसील देहरा जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांव निम्न विनिर्देशानुसार सम्मिलित होंगे:-

विनिर्देश

नगरपालिका परिषद् देहरा की सीमाओं के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र

क्रम संख्या	राजस्व गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	नगरपालिका परिषद् देहरा	327	4816
	कुल	327	4816

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)

प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या:टी0सी0पी0-एफ-(5)4/2017 तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)4/2017 तारीख 13.09.2018 द्वारा “देहरा योजना क्षेत्र” का गठन कर लिया किया गया है;

और उक्त योजना क्षेत्र के विद्यमान भू-उपयोग के मानचित्र (नक्शे) को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है;

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि पूर्वोक्त योजना क्षेत्र में भू-उपयोग में परिवर्तन या उस पर किसी निर्माण संक्रियां से सतह या किसी भूमि या मिट्टी पर हानिकारक अवरोध होने की सम्भावना है या मिट्टी के संरक्षण, भूमि के खिसकने से रोकथाम करने या कटाव से संरक्षण हेतु हानिकारक समझा गया है या पूर्वोक्त अधिनियम के उपलब्धों के अनुसार उक्त क्षेत्र की योजना बनाना और विकास करना कठिन होने की सम्भावना है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 15-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए “देहरा योजना क्षेत्र”के विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र (नक्शे) पर इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए रोक लगाते हैं।

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)

प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017

Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977(Act No. 12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the 13 day of September 2018, the date from which all the provisions of aforesaid Act shall come into force in the following revenue villages of Tehsil Dehra , District Kangra, Himachal Pradesh as mentioned in the specifications below:-

SPECIFICATIONS

Sr. No.	Name of Revenue Village	Area in Hectors	Population (2011)
1.	Municipal Council Dehra	327	4816
-	Total	327	4816

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017

Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section-(1) of section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No.12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute the “Dehra Planning Area” which include the following revenue villages of Tehsil Dehra , District Kangra, Himachal Pradesh as mentioned in the specifications below:-

SPECIFICATIONS

The area falling within the limits of the Municipal Council Dehra.

Sr. No.	Name of Revenue Village	Area in Hectors	Population (2011)
1.	Municipal Council Dehra	327	4816
-	Total	327	4816

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017

Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

WHEREAS “Dehra Planning Area” has been constituted under sub-section (1) of section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) vide Notification No. TCP-F (5)-4/2017 dated 13.09.2018

AND WHEREAS, existing land use map of the said planning area has not yet been published under sub-section (1) of Section- 15 of the aforesaid Act;

AND WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that in the aforesaid planning area, the change of the land use or any building operation therein is likely to cause injurious disturbance of the surface or any land or soil, or is considered detrimental to the preservation of the soil, prevention of land slips, or protection against erosion, or is likely to make it difficult to plan and develop the said area in accordance with the provisions of the aforesaid Act;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to freeze the existing land use map of the “Dehra Planning Area” for a period of five years from the date of publication of this Notification in the Official Gazette of Himachal Pradesh.

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)-4/2017 तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2018 के सितम्बर मास के 13 दिवस को ऐसा दिन नियत करते हैं जिससे, पूर्वोक्त अधिनियम के समस्त उपबन्ध तहसील श्री नयना देवी जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांवों में निम्न विनिर्देशानुसार प्रवृत्त होंगे:-

विनिर्देश

क्रम संख्या	राजस्व गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	श्री नयना देवी	54.36	1204
2.	एन0ए0सी0 बघारन	30.28	220
3.	एन0ए0सी0 मंडैहली	3.62	106
4.	एन0ए0सी0 बडोह	2.55	486
	कुल	90.81	2016

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)

प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)-4/2017 तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, “श्री नयना देवी जी योजना क्षेत्र” का गठन करते हैं जिसमें तहसील श्री नयना देवी जी जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांव निम्न विनिर्देशानुसार सम्मिलित होंगे:-

विनिर्देश

नगरपालिका परिषद श्री नयना देवी जी की सीमाओं के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र

क्रम संख्या	राजस्व गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	श्री नयना देवी	54.36	1204
2.	एन0ए0सी0 बघारन	30.28	220
3.	एन0ए0सी0 मंडैहली	3.62	106
4.	एन0ए0सी0 बडोह	2.55	486
	कुल	90.81	2016

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)

प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या:टी0सी0पी0-एफ-(5)4 /2017

तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)4 /2017 तारीख 13.09.2018 द्वारा “श्री नयना देवी जी योजना क्षेत्र” का गठन कर लिया किया गया है;

और उक्त योजना क्षेत्र के विद्यमान भू-उपयोग के मानचित्र (नक्शे) को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है;

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि पूर्वोक्त योजना क्षेत्र में भू-उपयोग में परिवर्तन या उस पर किसी निर्माण संक्रियां से सतह या किसी भूमि या मिट्टी पर हानिकारक अवरोध होने की सम्भावना है या मिट्टी के संरक्षण, भूमि के खिसकने से रोकथाम करने या कटाव से संरक्षण हेतु हानिकारक समझा गया है या पूर्वोक्त अधिनियम के उपलब्धों के अनुसार उक्त क्षेत्र की योजना बनाना और विकास करना कठिन होने की सम्भावना है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 15-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए “श्री नयना देवी जी योजना क्षेत्र”के विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र (नक्शे) पर इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए रोक लगाते हैं।

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)

प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017

Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977(Act No. 12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the 13th day of September, 2018, the date from which all the provisions of aforesaid Act shall come into force in the following revenue villages of Tehsil Shri Naina Devi Ji, District Bilaspur , Himachal Pradesh as mentioned in the specifications below:-

SPECIFICATIONS

Sr.No.	Name of Revenue Village	Area in Hectors	Population (2011)
1.	Naina Devi	54.36	1204
2.	N.A.C. Badharan	30.28	220
3.	N.A.C. Mandiali	3.62	106
4.	N.A.C. Badoh	2.55	486
-	Total	90.81	2016

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017
DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF
INDIA)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017

Shimla, Dated

13.09.2018

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No.12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute the “Shri Naina Devi Ji Planning Area” which include the following revenue villages of Tehsil Shri Naina Devi Ji, District Bilaspur, Himachal Pradesh as mentioned in the specifications below:-

SPECIFICATIONS

The area falling within the limits of the Municipal Council Shri Naina Devi Ji.

Sr. No.	Name of Revenue Village	Area in Hectors	Population (2011)
1.	Naina Devi	54.36	1204
2.	N.A.C. Badharan	30.28	220
3.	N.A.C. Mandiali	3.62	106
4.	N.A.C. Badoh	2.55	486
-	Total	90.81	2016

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017

Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

WHEREAS “Shri Naina Devi Ji Planning Area” has been constituted under sub-section (1) of section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) vide Notification No. TCP-F (5)-4/2017 Dated 13.09.2018

AND WHEREAS, existing land use map of the said planning area has not yet been published under sub-section (1) of section- 15 of the aforesaid Act;

AND WHEREAS the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that in the aforesaid planning area, the change of the land use or any building operation therein is likely to cause injurious disturbance of the surface or any land or soil, or is considered detrimental to the preservation of the soil, prevention of land slips, or protection against erosion, or is likely to make it difficult to plan and develop the said area in accordance with the provisions of the aforesaid Act;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to freeze the existing land use map of the “Shri Naina Devi Ji Planning Area” for a period of five years from the date of publication of this Notification in the Official Gazette of Himachal Pradesh.

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग
संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)-4/2017 तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2018 के सितम्बर मास केदिवस को ऐसा दिन नियत करते हैं जिससे, पूर्वोक्त अधिनियम के समस्त उपबन्ध तहसील करसोग जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांवों में निम्न विनिर्देशानुसार प्रवृत्त होंगे:-

विनिर्देश

क्रम सं०	राजस्व गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	नगर पंचायत, करसोग	90.66	4254
	कुल	90.66	4254

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)-4/2017 तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, “करसोग योजना क्षेत्र” का गठन करते हैं जिसमें तहसील करसोग जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांव निम्न विनिर्देशानुसार सम्मिलित होंगे:-

विनिर्देश

नगर पंचायत, करसोग की सीमाओं के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र

क्रम संख्या	राजस्व गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	नगर पंचायत, करसोग	90.66	4254
	कुल	90.66	4254

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)

प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या:टी0सी0पी0-एफ-(5)4/2017 तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)4/2017 तारीख 13.09.2018 द्वारा “करसोग योजना क्षेत्र” का गठन कर लिया किया गया है;

और उक्त योजना क्षेत्र के विद्यमान भू-उपयोग के मानचित्र (नक्शे) को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है;

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि पूर्वोक्त योजना क्षेत्र में भू-उपयोग में परिवर्तन या उस पर किसी निर्माण संक्रियां से सतह या किसी भूमि या मिट्टी पर हानिकारक अवरोध होने की सम्भावना है या मिट्टी के संरक्षण, भूमि के खिसकने से रोकथाम करने या कटाव से संरक्षण हेतु हानिकारक समझा गया है या पूर्वोक्त अधिनियम के उपलब्धों के अनुसार उक्त क्षेत्र की योजना बनाना और विकास करना कठिन होने की सम्भावना है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 15-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए “करसोग योजना क्षेत्र”के विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र (नक्शे) पर इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए रोक लगाते हैं।

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)

प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017

Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977(Act No. 12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the 13th day of September, 2018, the date from which all the provisions of aforesaid Act shall come into force in the following revenue villages of Tehsil Karsog , District Mandi, Himachal Pradesh as mentioned in the specifications below:-

SPECIFICATIONS

Sr. No.	Name of Revenue Village	Area in Hectors	Population (2011)
1.	Nagar Panchayat Karsog	90.66	4254
-	Total	90.66	4254

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

((AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017

Dated, Shimla-2

13.09.2018

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No.12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute the “Karsog Planning Area” which include the following revenue villages of Tehsil Karsog , District Mandi, Himachal Pradesh as mentioned in the specifications below:-

SPECIFICATIONS

The area falling within the limits of Nagar Panchayat Karsog.

Sr. No.	Name of Revenue Village	Area in Hectors	Population (2011)
1.	Nagar Panchayat Karsog	90.66	4254
-	Total	90.66	4254

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017

Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

WHEREAS, “Karsog Planning Area” has been constituted under sub- section (1) of Section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act,1977 (Act No12 of 1977) vide Notification No. TCP-F (5)-4/2017 dated 13.09.2018

AND WHEREAS, existing land use map of the said planning area has not yet been published under sub-section (1) of Section 15 of the aforesaid Act;

AND WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that in the aforesaid Planning Area, the change of the land use or any building operation therein is likely to cause injurious disturbance of the surface or any land or soil, or is considered detrimental to the preservation of the soil, prevention of land slips, or protection against erosion, or is likely to make it difficult to plan and develop the said area in accordance with the provisions of the aforesaid Act;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to freeze the existing land use map of the “Karsog Planning Area” for a period of five years from the date of publication of this Notification in the Official Gazette of Himachal Pradesh.

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग
संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)-4/2017 तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2018 के सितम्बर मास के 13 दिवस को ऐसा दिन नियत करते हैं जिससे, पूर्वोक्त अधिनियम के समस्त उपबन्ध तहसील जुब्बल जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांवों में निम्न विनिर्देशानुसार प्रवृत्त होंगे:-

विनिर्देश

क्रम संख्या	राजस्व गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	नगर पंचायत, जुब्बल	96	1640
	कुल	96	1640

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)-4/2017 तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "जुब्बल योजना क्षेत्र" का गठन करते हैं जिसमें तहसील जुब्बल जिला शिमला हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांव निम्न विनिर्देशानुसार सम्मिलित होंगे:-

विनिर्देश

नगर पंचायत जुब्बल की सीमाओं के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र

क्रम संख्या	राजस्व गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	नगर पंचायत, जुब्बल	96	1640
	कुल	96	1640

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)

प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या:टी0सी0पी0-एफ-(5)4 / 2017

तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)4 / 2017 तारीख 13.09.2018 द्वारा “जुब्बल योजना क्षेत्र” का गठन कर लिया गया है;

और उक्त योजना क्षेत्र के विद्यमान भू-उपयोग के मानचित्र (नक्शे) को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है;

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि पूर्वोक्त योजना क्षेत्र में भू-उपयोग में परिवर्तन या उस पर किसी निर्माण संक्रिया से सतह या किसी भूमि या मिट्टी पर हानिकारक अवरोध होने की सम्भावना है या मिट्टी के संरक्षण, भूमि के खिसकने से रोकथाम करने या कटाव से संरक्षण हेतु हानिकारक समझा गया है या पूर्वोक्त अधिनियम के उपलब्धों के अनुसार उक्त क्षेत्र की योजना बनाना और विकास करना कठिन होने की सम्भावना है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 15-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए “जुब्बल योजना क्षेत्र”के विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र (नक्शे) पर इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए रोक लगाते हैं।

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)

प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017 Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the 13 day of September, 2018, the date from which all the provisions of aforesaid Act shall come into force in the following revenue villages of Tehsil Jubbal, District Shimla, Himachal Pradesh as mentioned in the specifications below:-

SPECIFICATIONS

Sr. No.	Name of Revenue Village	Area in Hectors	Population (2011)
1.	Nagar Panchayat Jubbal	96	1640
-	Total	96	1640

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017

Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No.12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute the "Jubbal Planning Area" which include the following revenue villages of Tehsil Jubbal, District Shimla, Himachal Pradesh as mentioned in the specifications below:-

SPECIFICATIONS

The area falling within the limits of Nagar Panchayat Jubbal.

Sr. No.	Name of Revenue Village	Area in Hectors	Population (2011)
1.	Nagar Panchayat Jubbal	96	1640
-	Total	96	1640

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017

Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

WHEREAS, “Jubbal Planning Area” has been constituted under sub- section (1) of Section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act,1977 (Act No12 of 1977) vide Notification No. TCP-F (5)-4/2017 Dated 13.09.2018

AND WHEREAS, existing land use map of the said planning area has not yet been published under sub-section (1) of Section 15 of the aforesaid Act;

AND WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that in the aforesaid planning area, the change of the land use or any building operation therein is likely to cause injurious disturbance of the surface or any land or soil, or is considered detrimental to the preservation of the soil, prevention of land slips, or protection against erosion, or is likely to make it difficult to plan and develop the said area in accordance with the provisions of the aforesaid Act;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to freeze the existing land use map of the “Jubbal Planning Area” for a period of five years from the date of publication of this Notification in the Official Gazette of Himachal Pradesh.

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2018 के सितम्बर मास के 13 दिवस को ऐसा दिन नियत करते हैं जिससे, पूर्वोक्त अधिनियम के समस्त उपबन्ध तहसील बन्जार जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांवों में निम्न विनिर्देशानुसार प्रवृत्त होंगे:-

विनिर्देश

क्रम संख्या	राजस्व गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	नगर पंचायत बन्जार	225	1414
	कुल	225	1414

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)-4/2017 तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, “बन्जार योजना क्षेत्र” का गठन करते हैं जिसमें तहसील बन्जार जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांव निम्न विनिर्देशानुसार सम्मिलित होंगे:-

विनिर्देश

नगर पंचायत बन्जार की सीमाओं के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र

क्रम सं०	राजस्व गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	नगर पंचायत, बन्जार	225	1414
	कुल	225	1414

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)

प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या:टी0सी0पी0-एफ-(5)4 / 2017

तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या:टी0सी0पी0-एफ-(5)4 / 2017 तारीख 13.09.2018 द्वारा “बन्जार योजना क्षेत्र” का गठन कर लिया गया है;

और उक्त योजना क्षेत्र के विद्यमान भू-उपयोग के मानचित्र (नक्शे) को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है;

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि पूर्वोक्त योजना क्षेत्र में भू-उपयोग में परिवर्तन या उस पर किसी निर्माण संक्रिया से सतह या किसी भूमि या मिट्टी पर हानिकारक अवरोध होने की सम्भावना है या मिट्टी के संरक्षण, भूमि के खिसकने से रोकथाम करने या कटाव से संरक्षण हेतु हानिकारक समझा गया है या पूर्वोक्त अधिनियम के उपलब्धों के अनुसार उक्त क्षेत्र की योजना बनाना और विकास करना कठिन होने की सम्भावना है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 15-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए “बन्जार योजना क्षेत्र”के विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र (नक्शे) पर इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए रोक लगाते हैं।

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)

प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017

Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977(Act No. 12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the 13 day of September, 2018, the date from which all the provisions of aforesaid Act shall come into force in the following revenue villages of Tehsil Banjar , District Kullu, Himachal Pradesh as mentioned in the specifications below:-

SPECIFICATIONS

Sr. No.	Name of Revenue Village	Area in Hectors	Population (2011)
1.	Nagar Panchayat Banjar	225	1414
-	Total	225	1414

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017

Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No.12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute the “Banjar Planning Area” which include the following revenue villages of Tehsil Banjar , District Kullu, Himachal Pradesh as mentioned in the specifications below:-

SPECIFICATIONS

The area falling within the limits of Nager Panchayat Banjar.

Sr. No.	Name of Revenue Village	Area in Hectors	Population (2011)
1.	Nagar Panchayat Banjar	225	1414
-	Total	225	1414

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13-09-2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017 Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

WHEREAS, “Banjar Planning Area” has been constituted under sub- section (1) of Section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act,1977 (Act No12 of 1977) vide Notification No. TCP-F(5)-4/2017 dated 13.09.2018;

AND WHEREAS, existing land use map of the said planning area has not yet been published under sub-section (1) of section 15 of the aforesaid Act;

AND WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that in the aforesaid Planning Area, the change of the land use or any building operation therein is likely to cause injurious disturbance of the surface or any land or soil, or is considered detrimental to the preservation of the soil, prevention of land slips, or protection against erosion, or is likely to make it difficult to plan and develop the said area in accordance with the provisions of the aforesaid Act;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to freeze the existing land use map of the “Banjar Planning Area” for a period of five years from the date of publication of this Notification in the Official Gazette of Himachal Pradesh.

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2018 के सितम्बर मास के 13 दिवस को ऐसा दिन नियत करते हैं जिससे, पूर्वोक्त अधिनियम के समस्त उपबन्ध तहसील ज्वालामुखी जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांवों में निम्न विनिर्देशानुसार प्रवृत्त होंगे:-

विनिर्देश

क्रम संख्या	राजस्व गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	नगरपालिका परिषद, ज्वालामुखी	452	5361
	कुल	452	5361

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)-4/2017 तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, “ज्वालामुखी योजना क्षेत्र” का गठन करते हैं जिसमें तहसील ज्वालामुखी जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांव निम्न विनिर्देशानुसार सम्मिलित होंगे:-

विनिर्देश

नगरपालिका परिषद ज्वालामुखी की सीमाओं के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र

क्रम संख्या	राजस्व गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	नगरपालिका परिषद, ज्वालामुखी	452	5361
	कुल	452	5361

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)

प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या:टी0सी0पी0-एफ-(5)4 / 2017

तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)4 / 2017 तारीख 13.09.2018 द्वारा “ज्वालामुखी योजना क्षेत्र” का गठन कर लिया किया गया है;

और उक्त योजना क्षेत्र के विद्यमान भू-उपयोग के मानचित्र (नक्शे) को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है;

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि पूर्वोक्त योजना क्षेत्र में भू-उपयोग में परिवर्तन या उस पर किसी निर्माण संक्रियां से सतह या किसी भूमि या मिट्टी पर हानिकारक अवरोध होने की सम्भावना है या मिट्टी के संरक्षण, भूमि के खिसकने से रोकथाम करने या कटाव से संरक्षण हेतु हानिकारक समझा गया है या पूर्वोक्त अधिनियम के उपलब्धों के अनुसार उक्त क्षेत्र की योजना बनाना और विकास करना कठिन होने की सम्भावना है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 15-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए “ज्वालामुखी योजना क्षेत्र”के विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र (नक्शे) पर इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए रोक लगाते हैं।

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)

प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017

Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977(Act No. 12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the 13 day of September, 2018, the date from which all the provisions of aforesaid Act shall come into force in the following revenue villages of Tehsil Jawalamukhi , District Kangra, Himachal Pradesh as mentioned in the specifications below:-

SPECIFICATIONS

Sr. No.	Name of Revenue Village	Area in Hectors	Population (2011)
1.	Municipal Council Jawalamukhi	452	5361
-	Total	452	5361

By Order

(Prabodh Saxena)

Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017 Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section-(1) of Section-13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No.12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute the “Jawalamukhi Planning Area” which include the following revenue villages of Tehsil Jawalamukhi , District Kangra, Himachal Pradesh as mentioned in the specifications below:-

SPECIFICATIONS

The area falling within the limits of the Municipal Council Jawalamukhi.

Sr. No.	Name of Revenue Village	Area in Hectors	Population (2011)
1.	Municipal Council Jawalamukhi	452	5361
-	Total	452	5361

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017 Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

WHEREAS, “Jawalamukhi Planning Area” has been constituted under sub-section (1) of section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) vide Notification No TCP-F (5)-4/2017 dated 13.09.2018

AND WHEREAS, existing land use map of the said Planning Area has not yet been published under sub-section (1) of Section 15 of the aforesaid Act;

AND WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that in the aforesaid Planning Area, the change of the land use or any building operation therein is likely to cause injurious disturbance of the surface or any land or soil, or is considered detrimental to the preservation of the soil, prevention of land slips, or protection against erosion, or is likely to make it difficult to plan and develop the said area in accordance with the provisions of the aforesaid Act;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to freeze the existing land use map of the “Jawalamukhi Planning Area” for a period of five years from the date of publication of this Notification in the Official Gazette of Himachal Pradesh.

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2018 के सितम्बर, मास के 13 दिवस को ऐसा दिन नियत करते हैं जिससे, पूर्वोक्त अधिनियम के समस्त उपबन्ध तहसील सुन्नी जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांवों में निम्न विनिर्देशानुसार प्रवृत्त होंगे:-

विनिर्देश

क्रम संख्या	राजस्व गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	सुन्नी प्रथम	176	2591
2.	सुन्नी द्वितीय		
3.	सुन्नी तृतीय		
4.	सुन्नी चतुर्थ		
	कुल	176	2591

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)-4/2017 तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, “सुन्नी योजना क्षेत्र” का गठन करते हैं जिसमें तहसील सुन्नी जिला शिमला हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांव निम्न विनिर्देशानुसार सम्मिलित होंगे:-

विनिर्देश

नगर पंचायत सुन्नी की सीमाओं के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र

क्रम संख्या	राजस्व गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	सुन्नी प्रथम	176	2591
2.	सुन्नी द्वितीय		
3.	सुन्नी तृतीय		
4.	सुन्नी चतुर्थ		
	कुल	176	2591

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)

प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या:टी0सी0पी0-एफ-(5)4 / 2017

तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)4 / 2017 तारीख 13.09.2018 द्वारा “सुन्नी योजना क्षेत्र” का गठन कर लिया गया है;

और उक्त योजना क्षेत्र के विद्यमान भू-उपयोग के मानचित्र (नक्शे) को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है;

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि पूर्वोक्त योजना क्षेत्र में भू-उपयोग में परिवर्तन या उस पर किसी निर्माण संक्रियां से सतह या किसी भूमि या मिट्टी पर हानिकारक अवरोध होने की सम्भावना है या मिट्टी के संरक्षण, भूमि के खिसकने से रोकथाम करने या कटाव से संरक्षण हेतु हानिकारक समझा गया है या पूर्वोक्त अधिनियम के उपलब्धों के अनुसार उक्त क्षेत्र की योजना बनाना और विकास करना कठिन होने की सम्भावना है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 15-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए “सुन्नी योजना क्षेत्र”के विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र (नक्शे) पर इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए रोक लगाते हैं।

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)

प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017 Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the 13th day of September, 2018, the date from which all the provisions of aforesaid Act shall come into force in the following revenue villages of Tehsil Sunni, District Shimla, Himachal Pradesh as mentioned in the specifications below:-

SPECIFICATIONS

Sr.No	Name of Revenue Village	Area in Hectors	Population (2011)
1.	Sunni 1st	176	2591
2.	Sunni 2nd		
3.	Sunni 3rd		
4.	Sunni 4th		
-	Total	176	2591

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017 Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No.12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute the “Sunni Planning Area” which include the following revenue villages of Tehsil Sunni, District Shimla, Himachal Pradesh as mentioned in the specifications below:-

SPECIFICATIONS

The area falling within the limits of Nagar Panchayat Sunni.

Sr. No.	Name of Revenue Village	Area in Hectors	Population (2011)
1.	Sunni 1st	176	2591
2.	Sunni 2nd		
3.	Sunni 3rd		
4.	Sunni 4th		
-	Total	176	2591

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017 Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

WHEREAS, “Sunni Planning Area” has been constituted under sub-section (1) of Section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) vide Notification No. TCP-F (5)-4/2017 Dated 13.09.2018

AND WHEREAS, existing land use map of the said planning area has not yet been published under sub-section (1) of Section- 15 of the aforesaid Act;

AND WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that in the aforesaid planning area, the change of the land use or any building operation therein is likely to cause injurious disturbance of the surface or any land or soil, or is considered detrimental to the preservation of the soil, prevention of land slips, or protection against erosion, or is likely to make it difficult to plan and develop the said area in accordance with the provisions of the aforesaid Act;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to freeze the existing land use map of the “Sunni Planning Area” for a period of five years from the date of publication of this Notification in the Official Gazette of Himachal Pradesh.

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या. टी0सी0पी0-एफ(5)-4 / 2017

तारीख, शिमला-2,
अधिसूचना

13.09.2018

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2018 के सितम्बर मास के 13 दिवस को ऐसा दिन नियत करते हैं जिससे, पूर्वोक्त अधिनियम के समस्त उपबन्ध तहसील कांगडा जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांवों में निम्न विनिर्देशानुसार प्रवृत्त होंगे:-

विनिर्देश

क्रम संख्या	राजस्व गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	भवन		
2.	उप मोहाल डाक बंगला		
3-	उप मोहाल मिसन		
4	उप मोहाल पुराना कांगडा		
5	उप मोहाल गुप्त गंगा	312	9528
	कुल	312	9528

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या. टी0सी0पी0-एफ(5)-4 / 2017

तारीख, शिमला-2,
अधिसूचना

13.09.2018

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कांगडा योजना क्षेत्र का गठन करते हैं। जिसमें तहसील कांगडा जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांव निम्न विनिर्देशानुसार सम्मिलित होंगे:-

विनिर्देश

नगर पंचायत कांगडा की सीमाओं के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र

विनिर्देश

क्रम संख्या	राजस्व गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	भवन		
2.	उप मोहाल डाक बंगला		
3-	उप मोहाल मिसन		
4	उप मोहाल पुराना कांगडा	312	9528
5	उप मोहाल गुप्त गंगा	312	9528

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या. टी0सी0पी0-एफ(5)-4 / 2017

तारीख, शिमला-2,

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या टी0सी0पी0-एफ(5)-4 / 2017 तारीख 13.09.2018 द्वारा कांगडा योजना क्षेत्र का गठन कर लिया गया है;

और उक्त योजना क्षेत्र के विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र नक्शे को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है;

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि पूर्वोक्त योजना क्षेत्र में भू-उपयोग में परिवर्तन या उस पर किसी निर्माण संक्रिया से सतह या किसी भूमि या मिट्टी पर हानिकारक अवरोध होने की सम्भावना है या मिट्टी के संरक्षण, भूमि के खिसकने से रोकथाम करने या कटाव के संरक्षण हेतु हानिकारक समझा गया है या पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उक्त क्षेत्र की योजना बनाना और विकास करना कठिन होने की सम्भावना है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 15-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए“ कांगडा योजना क्षेत्र के विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र (नक्शे) पर इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए रोक लगाते हैं।

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)

प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)

हिमाचल प्रदेश सरकार।

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017

Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by sub-section (3) of Section-1 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977(Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint the 13th day of September month, of the year 2018 as the day on which the provisions of aforesaid Act shall come into force in the following Revenue villages of Tehsil *Kangra* , District Kangra, Himachal Pradesh as described in the specifications below:-

SPECIFICATIONS

Sr.	Name of Revenue Village	Area in Hectors	Population (2011)
1.	Bhawan		
2.	Up Mohal Dak Bangla		
3.	Up Mohal Mission		
4.	Up Mohal Purana Kangra		
5.	Up Mohal Gupt Ganga	312	9528
-	Total	312	9528

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017

Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section-(1) of Section-13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No.12 of 1977), the Governor of the Himachal Pradesh is pleased to constitute the “Kangra Planning Area” which includes the following Revenue villages of TehsilKangra , District Kangra, Himachal Pradesh as described in the specifications below:-

SPECIFICATIONS

The area falling within the limits of Municipal Council Kangra.

Sr. No.	Name of Revenue Village	Area in Hectors	Population (2011)
1.	Bhawan	312	9528
2.	Up Mohal Dak Bangla		
3.	Up Mohal Mission		
4.	Up Mohal Purana Kangra		
5.	Up Mohal Gupt Ganga		
-	Total	312	9528

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 dated 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017

Dated, Shimla-2,
NOTIFICATION

13.09.2018

Whereas “Kangra Planning Area” has been constituted under sub-section (1) of Section -13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No 12 of 1977) vide Notification No. TCP-F (5)-4/2017 dated 13.09.2018

And whereas existing land use map of the said Planning Area has not yet been published under sub-section (1) of Section- 15 of the aforesaid Act;

And whereas the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that in the aforesaid Planning Area, the change of land use or any building operation therein is likely to cause injurious disturbance of the surface or any land or soil, or is considered detrimental to the preservation of the soil, prevention of land slips or protection against erosion and is likely to make it difficult to plan and develop the said area in accordance with the provisions of the aforesaid Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to freeze the existing land use map of the “Kangra Planning Area” for a period of Five years from the date of publication of this Notification in the Himachal Pradesh Official Gazette.

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)-4/2017 तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2018 के सितम्बर मास के 13 दिवस को ऐसा दिन नियत करते हैं जिससे, पूर्वोक्त अधिनियम के समस्त उपबन्ध तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांवों में निम्न विनिर्देशानुसार प्रवृत्त होंगे:-

विनिर्देश

क्रम संख्या	राजस्व गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	2011 की जनगणना के अनुसार जन
1.	भोल भनाई	27.16	10231
2.	मकरां पाट्टन		
3.	लुभ टुपवी		
4.	खैहरिया		
5.	बंसतपुर		
6.	ज्वाली I, II एवं III		
7.	धांग		
	कुल	27.16	10231

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)

प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या: टी0सी0पी0-एफ-(5)-4/2017 तारीख, शिमला-2

13.09.2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "ज्वाली योजना क्षेत्र" का गठन करते हैं जिसमें तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांव निम्न विनिर्देशानुसार सम्मिलित होंगे:-

विनिर्देश

नगर पंचायत ज्वाली की सीमाओं के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र

क्रम संख्या	राजस्व गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	2011 की जनगणना के अनुसार जन
1.	भोल भनाई	27.16	10231
2.	मकरां पाट्टन		
3.	लुभ टुपवी		
4.	खैहरिया		
5.	बंसतपुर		
6.	ज्वाली I, II एवं III		
7.	धांग		
	कुल	27.16	10231

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)

प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्या:टी0सी0पी0-एफ-(5)4/2017

तारीख, शिमला-2
अधिसूचना

13.09.2018

हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या:टी0सी0पी0-एफ-(5)4/2017 तारीख 13.09.2018 द्वारा “ज्वाली योजना क्षेत्र” का गठन कर लिया किया गया है;

और उक्त योजना क्षेत्र के विद्यमान भू-उपयोग के मानचित्र (नक्शे) को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है;

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि पूर्वोक्त योजना क्षेत्र में भू-उपयोग में परिवर्तन या उस पर किसी निर्माण संक्रियां से सतह या किसी भूमि या मिट्टी पर हानिकारक अवरोध होने की सम्भावना है या मिट्टी के संरक्षण, भूमि के खिसकने से रोकथाम करने या कटाव से संरक्षण हेतु हानिकारक समझा गया है या पूर्वोक्त अधिनियम के उपलब्धों के अनुसार उक्त क्षेत्र की योजना बनाना और विकास करना कठिन होने की सम्भावना है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 15-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए “ज्वाली योजना क्षेत्र”के विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र (नक्शे) पर इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए रोक लगाते हैं।

आदेश द्वारा

(प्रबोध सक्सेना)

प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017 Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977(Act No. 12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the 13th day of September, 2018, the date from which all the provisions of aforesaid Act shall come into force in the following revenue villages of Tehsil Jawali , District Kangra, Himachal Pradesh as mentioned in the specifications below:-

SPECIFICATIONS

Sr. No.	Name of Revenue Village	Area in Hectors	Population (2011)
1.	Bhol Bhanai	27.16	10231
2.	Makran Pattan		
3.	Lubh Tuipvi		
4.	Kaihairiya		
5.	Basantpur		
6.	Jawali-I,II&III		
7.	Dhang		
-	Total	27.16	10231

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017 Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No.12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute the "Jawali Planning Area" which include the following revenue villages of Tehsil Jawali , District Kangra, Himachal Pradesh as mentioned in the specifications below:-

SPECIFICATIONS

The area falling within the limits of Nagar Panchayat Jawali.

Sr. No.	Name of Revenue Village	Area in Hectors	Population (2011)
1.	Bhol Bhanai	27.16	10231
2.	Makran Pattan		
3.	Lubh Tuipvi		
4.	Kaihairiya		
5.	Basantpur		
6.	Jawali-I,II&III		
7.	Dhang		
-	Total	27.16	10231

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F (5)-4/2017 DATED 13.09.2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-F (5)-4/2017

Dated, Shimla-2,

13.09.2018

NOTIFICATION

WHEREAS, "Jawali Planning Area" has been constituted under sub-section (1) of Section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) vide Notification No. TCP-F (5)-4/2017 dated 13.09.2018

AND WHEREAS, existing land use map of the said planning area has not yet been published under sub-section (1) of Section- 15 of the aforesaid Act;

AND WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that in the aforesaid planning area, the change of the land use or any building operation therein is likely to cause injurious disturbance of the surface or any land or soil, or is considered detrimental to the preservation of the soil, prevention of land slips, or protection against erosion, or is likely to make it difficult to plan and develop the said area in accordance with the provisions of the aforesaid Act;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to freeze the existing land use map of the "Jawali Planning Area" for a period of five years from the date of publication of this notification in the Official Gazette of Himachal Pradesh.

By Order

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh